प्र.सं. 73/2016 किस्म दरख्वास्त इजराय डिक्री
पानाचन्द V/S ग्राम पंचायत अटरू

(म)	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर वता अहकाम जो इस हुक्म को तामील मेजरी हुए
.10.19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि प्रकरण मे दिनांक 12.6.2018 को आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिये किये गये है कि प्रार्थी के अभिभाषक अप्रार्थी की रजिस्टर्ड सम्मन से तलबी करने हेतु तलबाना पेश करे। प्रकरण मे आदिनांक 14.10.2019 तक (1 वर्ष 4 माह बाद तक) उक्त आदेश की पालना मे प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा तलबाना प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रकरण मे सी.पी.सी. की धारा 151 आदेश 9 नियम 5 के अनुसार जिसमे उल्लेखित किया गया है कि जहॉ वादी, सम्मन तामिल के बिना लोटने के पश्चात एक माह तक नये सम्मन के लिए करने मे असफल रहने के कारण, इसी स्तर पर प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत दरख्वास्त इजराय डिक्री निगरानी खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय मे आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.24 14:46:30 IST
Reason: SelfAttested